पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
लेटर्स पेटेंट अपील सं.– 1406/2023
में
दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या –10140/2023

= =

पुजा सिंह, पिता–मिथिलेश सिंह, स्थायी पता– वार्ड नं0 – 20, मुस्कीपुर कोठी जमालपुर, थाना–जमालपुर गोगरी, जिला–खगडिया वर्तमान पता अंचल–सी 4/412, महेश गढ लाइन, इंदौर, राज्य– मध्य प्रदेश ।

... ...अपीलार्थी

बनाम्

1. बिहार राज्य, गृह सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. अध्यक्ष केन्द्रीय कांस्टेबल चयन बोर्ड, सरदार पटेल भवन, छठा तल, ब्लॉक ए/626, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना ।
3. विशेष कार्य अधिकारी, केन्द्रीय चयन बोर्ड छठा तल, ब्लॉक ए/626, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना ।
4. महानिदेशक–सह–कमांडेंट जेनरल होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार, पटना ।
5. निदेशक –सह –राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना।
6. अपर निदेशक –सह –सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार पटना।
7. उप महा निरीक्षक सह कमांडेट जेनरल होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं, बिहार, पटना।

... ...प्रत्यर्थी

= =

उपस्थितः

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री अजय कुमार सिंह न 0–01, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री संजय कुमार घोसर्वे एएजी के एसी–3
सी0 एस 0 बी0 सी0 की ओर से	:	श्री विनोद कुमार मिश्रा, अधिवक्ता
		श्री विवेक आनंद अमृतेश, अधिवक्ता

= =

सेवा कानून—चयन—कांस्टेबल के पद पर—अपीलकर्ता को बिहार अग्निशामन सेवा के तहत अग्निक (कांस्टेबल) के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम चयन सूची में सफल घोषित किया गया—अपीलकर्ता को नियुक्त नहीं किया गया—अपीलकर्ता के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊँचाई 155 सेंटीमीटर थी—अपीलकर्ता ने विज्ञापन द्वारा आवश्यक न्यूनतम ऊँचाई 155 सेंटीमीटर तक पहुँचने के लिए अपने एड़ी के नीचे कैरम बोर्ड (खेल) के सिक्के चिपकाए थे—मापने पर, उसकी ऊँचाई 154 सेंटीमीटर पाई गई जो न्यूनतम आवश्यक ऊँचाई 155 सेंटीमीटर से कम थी—अपीलकर्ता को अधिकारियों द्वारा उसकी ऊँचाई के माप के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया—एलपीए खारिज।

(पैरा 6 से 8)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

= =

कोरमः माननीय मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी
मौखिक आदेश
(द्वाराः माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी)

दिनांक–01–07–2024

1. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. वर्तमान अपील सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 10140/2023 में पारित दिनांक 6.10.2023 के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

3. अपीलकर्ता का मामला संक्षेप में यह है कि बिहार अग्निशामक सेवा के तहत अग्निक (सिपाही) के पद पर नियुक्ति के लिए अंतिम चयन सूची में सफल घोषित होने के बावजूद अपीलकर्ता को नियुक्त नहीं किया गया और इस तरह उसने रिट आवेदन दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपीलकर्ता का मामला यह है कि उसकी ऊंचाई में मामूली कमी देखी गई थी जिसे उसकी श्रेणी में आवश्यक ऊंचाई 155 सेंटीमीटर के मुकाबले 154 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया था।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि यदि अपीलकर्ता की ऊंचाई दोबारा मापी जाए तो वह 155 सेंटीमीटर पाई जाएगी जो निर्धारित ऊंचाई है। संबंधित अधिकारियों ने उसकी ऊंचाई मापने में गलती की है और रिट आवेदन में विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्देश देते हुए या कम से कम प्रतिवादियों को एक बोर्ड गठित करने और अपीलकर्ता की ऊंचाई दोबारा मापने का निर्देश देते हुए इसे अनुमति देनी चाहिए थी।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने रिट आवेदन को खारिज करने वाले आदेश के पैराग्राफ संख्या 4 के संदर्भ में प्रस्तुत किया कि दिनांक 15.5.2023 के संचार (रिट आवेदन के अनुलग्नक–7) से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता को अपनी ऊंचाई की कमी को दूर करने के लिए अवैध साधनों का सहारा लेते हुए पाया गया था और इस तरह वह किसी भी राहत के लिए हकदार नहीं थी और विद्वान एकल न्यायाधीश ने उसके आवेदन को सही रूप से खारिज कर दिया।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह न्यायालय पाता है कि केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 1/2021 दिनांक 22.2.2021 के अनुसार अपीलार्थी ने अग्निक (सिपाही) के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलार्थी की श्रेणी के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर थी। अतिरिक्त निदेशक–सह–सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना द्वारा लिखे गए पत्र संख्या 6321 दिनांक 15.5.2023 (रिट आवेदन के अनुलग्नक–7) की सामग्री से यह भी पता चलता है कि उसकी ऊंचाई की माप के समय यह पता चला था कि अपीलार्थी ने विज्ञापन द्वारा आवश्यक न्यूनतम 155 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अपनी एड़ी के नीचे कैरम बोर्ड (खेल) के सिक्के चिपकाए थे।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, यह भी पाया गया कि अपीलकर्ता ने प्राधिकारियों द्वारा उसकी ऊंचाई मापने के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग किया था, जैसा कि दिनांक 15.5.2023 के उपरोक्त पत्र से स्पष्ट होता है, न्यायालय को तत्काल अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती।

8. अपील खारिज की जाती है।

(श्री के0 विनोद चंद्रण, मुख्य न्यायाधीश)

(श्री पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

विभाष

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।